न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 95/2022

आदर्शपाल सिंह बनाम तेजेश्वर सिंह वगैरह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री काशीराम रणवा अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादीगण
2. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 31.12.2025

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी ने उपरोक्त शीर्षक के वाद में वादाधीन कृषि भूमि वाके चक 18 जैड़ के मुरब्बा नं. 11 के किला नं. 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि को वादी की बताया और वादी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में एक मुखत्यारनामा दिनांक 12–01–2011 को इस भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं. 2 को देना और इससे वादी. की कृषि भूमि को विक्रय, अन्तरण, रहन, बैचान, किराये पर देने में प्रतिवादी सं. 2 को सक्षम होना बताया है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने मुखत्यारनामा दिनांक 12–01–2011 के आधार पर वादाधीन कृषि भूमि को जरिये उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 से प्रतिवादी सं.1 को अन्तरित कर दिया है जो एक अन्तरण है और इस अन्तरण के आधार पर वादाधीन भूमि का नामान्तरण सं. 140 दिनांक 05–05–2022 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम स्वीकार किया जा चुका है और वादाधीन भूमि का प्रतिवादी सं. 1 खातेदार हो गया है और इससे वादी इस भूमि का वर्तमान में खातेदार नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी को दिये गये मुखत्यारनामे को निरस्त करने का भी हवाला दिया है। वादी के उपरोक्त कथनो से स्पष्ट है कि वादी ने वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के मुखत्यारेआम की हैसियत से करवाये गये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 को चुनौती दी है, राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड प्रलेख जो उपहार पत्र है को चुनौती देने वाला या उपहार पत्र को प्रभावशून्य या निरस्त करवाने का दावा सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड उपहार पत्र को चुनौती केवल सिविल न्यायालय में ही दी जा सकती है और सिविल न्यायालय ही उपहार पत्र को निरस्त करने व उसके निष्प्रभावी घोषित करने का अनुतोष प्रदान करने में सक्षम है। राजस्व न्यायालय को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और जब तक सिविल न्यायालय उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 के बारे में उपरोक्त प्रकार से निर्णय नहीं दे देती है तब तक वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार किसी किस्म का उत्पन्न नहीं होता है और राजस्वं न्यायालय को उपहार पत्र की मौजूदगी में उपहार पत्र से प्रभावित कृषि भूमि के बारे मे वादी के अधिकार की कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है। वादी ने उपरोक्त शीर्षक के वाद में प्रतिवादी सं. 2 को दिये गये मुखत्यार दिनांक 12–01–2011 को निरस्त करने का भी कथन किया है। वादी को प्रतिवादी सं. 2 को दिये मुखत्यारनामा दिनांक 12–01–2011 को निरस्त करने का कोई अधिकार है या नही एवं वादी द्वारा मुखत्यारनामा निरस्त करने के प्रतिवादी सं. 2 को बिना सूचना के भूमि अन्तरण करने का अधिकार है या नहीं, यह बिन्दू भी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है, राजस्व न्यायालय मुखत्यारनामा के निरस्तीकरण के संबंध में और मुखत्यारनामा निरस्त करने के प्रतिवादी सं. 2 को सूचना न होने का मुखत्यार में प्रतिवादी सं. 2 के अधिकार समाप्त हुए या नहीं का बिन्दूवाद में निहित है। वादी ने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपने वाद पत्र में मुखत्यारनामा निरस्त करने की सूचना प्रतिवादी सं. 2 को दे दी और ऐसी सूचना प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त होना वाद पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया है और ऐसी सूचना के बिना प्रतिवादी सं. 2 के लिए मुखत्यारनामा निरस्त हुआ या नहीं, के बिन्दु का निरस्तारण भी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। ये सब बिन्दू के जटिल प्रश्न है जिन्हें केवल सिविल न्यायालय निस्तारण करने में सक्षम क़ानून है। उपरोक्त प्रकार से मुखत्यारनामा निरस्तीकरण व रजिस्टर्ड उपहार पत्र के प्रभावशून्य घोषित करने के बिन्दू सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के है, उपरोक्त शीर्षक के बाद में यही मुख्य बिन्दू है और इसके निस्तारण के बाद ही वाद का अनुतोष वादी प्राप्त करने का निवेदन कर सकता है। ऐसी सूरत में सारभूत से वाद वादी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और धारा 207 आर. टी. ए अनुसार वाद वादी सिविल वाद कारण पर आधारित होने से दावा वादी मौजूदा सूरत में ही खारिज होने योग्य है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मौजूदा सूरत में ही खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार यहकि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, स्वीकार नहीं है। यहां यह तथ्य अंकित करना आवश्यक होगा कि वाद पत्र के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर एवं आंशिक अभिवचनों को उठाते हुए इस मद में वर्णित किया गया है जबकि विधि के आज्ञापक प्रावधानो के तहत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र का निस्तारण वाद पत्र के अभिवचनों से किया जाना है इसलिये वाद पत्र के सम्पूर्ण अभिवचनों का यदि अवलोकन किया जावे तो वाद पत्र किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. के किसी भी प्रावधान से हिट नहीं होता है। इस तथ्य की बाखूबी जानकारी होने के बावजूद की मुख्तयारनामा अर्सा 11 वर्ष पूर्व निरस्त हो चुका है, प्रतिकर स्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा 75 लाख रूपये प्राप्त किये जाकर असल मुख्तयारनामा वादी को वापिस दिया जा चुका है एंव अर्सा 11 वर्ष उपरान्त बिना अधिकारिता अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश कर निष्पादित उपहार पत्र प्रारम्भतः एव प्रभावशून्य दस्तावेज है जिससे कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को वादाधीन कृषि भूमि में प्राप्त नहीं होते है इन अभिवचनों के आधार पर वादी ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जो बाद जवाबदावा, तनकीयात एवं साक्ष्य ही निर्णित की जा सकती है। मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है । जब कथित दस्तावेज बिना अधिकारिता के प्रारम्भतः एंव प्रभावशून्य दस्तावेज है तो ऐसे दस्तावेज को चुनौती देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सम्पूर्ण वाद पत्र का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि न तो कथित प्रारम्भतः एवं प्रभावशून्य दस्तावेज उपहार पत्र को चुनौती दी गयी है एव नाहीं इसे प्रभावशून्य अथवा निरस्त करने का अनुतोष ही चाहा गया है ऐसी स्थिती में राजस्व न्यायालय के द्वारा उपहार पत्र को प्रभावशून्य अथवा निरस्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि घोषणा के वाद में एवं निरस्ती के वाद में अन्तर है । वादी के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा चाही है एवं जाहिरा तौर से कथित दस्तावेज उपहार पत्र प्रारम्भतः एवं प्रभावशून्य है जो बिना अधिकारिता के साजिशाना प्रतिवादीगण के द्वारा दुर्भिसन्धि से करवाया है जो कि वादी के विधिक अधिकारों पर बेअसर है एवं ऐसे दस्तावेज को न तो प्रभावशून्य घोषित करवाने की आवश्यकता है एवं ना हीं निरस्त करवाने की आवश्यकता है एवं ना हीं ऐसा कोई अनुतोष ही वाद पत्र में अधियाचित किया गया है इसलिये यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। चूंकि वाद अधिकारों की घोषणा का है एवं कथित दस्तावेज उपहार पत्र प्रारम्भतः एंव प्रभावशून्य है इसलिये वाद धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह तथ्य असत्य एवं

असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि सिविल न्यायालय के द्वारा उपहार पत्र के बारे में निर्णय देने तक राजस्व न्यायालय को वादी के की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है अधिकारों प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा इस सम्बन्ध में बिना सम्बन्धित विधि एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन किये ऐसे तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये है जो विधि विरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के 1 कारण स्वीकार नहीं है । इस मद में वर्णित तथ्यों का हस्तगत वाद में वर्णित अभिवचनों एवं पारित होने वाले विधिसम्मत निर्णय से कोई सरोकार नहीं है एवं चूंकि दस्तावेज उपहार पत्र प्रारम्भतः एवं प्रभावशून्य है इसलिये इस मद में वर्णित तथ्य विधि के जटिल प्रश्न नहीं है वरन् वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। यहकि मद संख्या 4 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के द्वारा बिना वाद पत्र के अभिवचनों का भली प्रकार से अध्ययन किये यह तथ्य अंकित किये है कि मुख्तयारनामा निरस्तीकरण एवं पंजीकृत उपहार पत्र के प्रभावशून्य घोषित करने के बिन्दू सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के द्य यदि माननीय न्यायालय वाद पत्र का अध्ययन करे तो माननीय न्यायालय को स्पष्ट होगा कि वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित अनुतोषों पर यह अनुतोष चाहा है कि डिक्री अधिकारो की घोषणा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित की जाकर वादी को वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 13 जैड़, पटवार हल्का 18 जैड़, मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 11 का किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6. 325 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर इन्तकाल संख्या 140 दिनांक 05.05.2022 को निरस्त करते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी के नाम से अंकन करने की डिक्री पारित की जावे। इस आशय की डिक्री भी पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से प्रारम्भतःशून्य एवं प्रभावशून्य, बेअसर दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार वादाधीन कृषि भूमि में प्राप्त नहीं होता है एवं उक्त नामान्तरण वादी के विधिक अधिकारों पर बेअसर एवं प्रतिकूल है एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। उक्त अनुतोष अथवा वाद पत्र के अभिवचन कहीं भी इस तथ्य को इंगित नहीं करते है कि वाद पत्र में मुख्तयारनामा अथवा कथित उपहार पत्र को प्रभावशून्य अथवा निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। यह तथ्य असत्य एवं असंगत होने के कारण अस्वीकार है कि वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है एवं यह तथ्य भी असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि धारा 207 आर. टी. एक्ट के प्रावधान प्रकरण हाजा पर वर्तमान परिस्थिती में अथवा अन्यथा रूप से लागू होते है ।

अतिरिक्त कथन – यहकि यह प्रमाणित सिद्धान्त है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण वाद पत्र के अभिवचनों मात्र से किया जाना है इस हेतू प्रतिवादी के जवाब, दस्तावेज अथवा साक्ष्य को न तो देखा जा सकता है एवं ना हीं विचारित किया जा सकता हैं। वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के किसी भी प्रावधान में नहीं आता है इसलिये प्रार्थना पत्र सव्युय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जवाबदावा में ऐतराजात प्रस्तुत कर बाद तनकीयात एवं साक्ष्य ही उक्त तथ्यों को उठा सकते है ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थिती में एवं वाद की नोईयत के मध्यनजर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रार्थीगण/प्रतिवादी को आदेशित किये जाना उचित होगा कि वे अविलम्ब पत्रावली पर जवाब प्रस्तुत करें। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने मुखत्यारनामा दिनांक 12–01–2011 के आधार पर वादाधीन कृषि भूमि को जरिये उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 से प्रतिवादी सं.1 को अन्तरित कर दिया है जो एक अन्तरण है और इस अन्तरण के आधार पर वादाधीन भूमि का नामान्तरण सं. 140 दिनांक 05–05–2022 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम स्वीकार किया जा चुका है और वादाधीन भूमि का प्रतिवादी सं. 1 'खातेदार हो गया है और इससे वादी इस भूमि का वर्तमान में खातेदार नहीं है। वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी को दिये गये मुखत्यारनामे को निरस्त करने का भी हवाला दिया है। वादी के उपरोक्त कथनो से स्पष्ट है कि वादी ने वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के मुखत्यारेआम की हैसियत से करवाये गये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 को चुनौती दी है, राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड प्रलेख जो उपहार पत्र है को चुनौती देने वाला या उपहार पत्र को प्रभावशून्य या निरस्त करवाने का दावा सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। राजस्व न्यायालय को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और जब तक सिविल न्यायालय उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 के बारे में उपरोक्त प्रकार से निर्णय नहीं दे देती है तब तक वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई अधिकार किसी किस्म का उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने उपरोक्त शीर्षक के वाद में प्रतिवादी सं. 2 को दिये गये मुखत्यार दिनांक 12–01–2011 को निरस्त करने का भी कथन किया है। वादी को प्रतिवादी सं. 2 को दिये मुखत्यारनामा दिनांक 12–01–2011 को निरस्त करने का कोई अधिकार है या नही एवं वादी द्वारा मुखत्यारनामा निरस्त करने के प्रतिवादी सं. 2 को बिना सूचना के भूमि अन्तरण करने का अधिकार है या नहीं, यह बिन्दू भी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। मुखत्यारनामा निरस्तीकरण व रजिस्टर्ड उपहार पत्र के प्रभावशून्य घोषित करने के बिन्दू सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के है, उपरोक्त शीर्षक के बाद में यही मुख्य बिन्दू है और इसके निस्तारण के बाद ही वाद का अनुतोष वादी प्राप्त करने का निवेदन कर सकता है। ऐसी सूरत में सारभूत से वाद वादी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से वाद वादी मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जावे। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **RRD 2013 pg. 368, RRT 2010 (1) pg. 124, [Citation : 2021(1) DNJ (Raj.) 174], [Citation : 2021(1) DNJ (Raj.) 178], RRD 1986 pg. 548, AIR 2009 (NOC) 1364 (ALL.) :: 2009 (2) ALL LJ 162** Allahabad High Court पेश किये गये।

जवाब बहस में वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि वाद पत्र के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर एवं आंशिक अभिवचनों को उठाते हुए इस मद में वर्णित किया गया है जबकि विधि के आज्ञापक प्रावधानो के तहत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र का निस्तारण वाद पत्र के अभिवचनों से किया जाना है इसलिये वाद पत्र के सम्पूर्ण अभिवचनों का यदि अवलोकन किया जावे तो वाद पत्र किसी भी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के किसी भी प्रावधान से हिट नहीं होता है। इस तथ्य की बाखूबी जानकारी होने के बावजूद की मुख्तयारनामा अर्सा 11 वर्ष पूर्व निरस्त हो चुका है, प्रतिकर स्वरूप प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा 75 लाख रूपये प्राप्त किये जाकर असल मुख्तयारनामा वादी को वापिस दिया जा चुका है एंव अर्सा 11 वर्ष उपरान्त बिना अधिकारिता अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश कर निष्पादित उपहार पत्र प्रारम्भतः एव प्रभावशून्य दस्तावेज है जिससे कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 को वादाधीन कृषि भूमि में प्राप्त नहीं होते है इन अभिवचनों के आधार पर वादी ने अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है जो बाद जवाबदावा, तनकीयात एवं साक्ष्य ही निर्णित की जा सकती है। जब कथित दस्तावेज बिना अधिकारिता के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

प्रारम्भतः एंव प्रभावशून्य दस्तावेज है तो ऐसे दस्तावेज को चुनौती देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय सम्पूर्ण वाद पत्र का अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि न तो कथित प्रारम्भतः एवं प्रभावशून्य दस्तावेज उपहार पत्र को चुनौती दी गयी है एव नाहीं इसे प्रभावशून्य अथवा निरस्त करने का अनुतोष ही चाहा गया है ऐसी स्थिती में राजस्व न्यायालय के द्वारा उपहार पत्र को प्रभावशून्य अथवा निरस्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। कथित दस्तावेज उपहार पत्र प्रारम्भतः एवं प्रभावशून्य है जो बिना अधिकारिता के साजिशाना प्रतिवादीगण के द्वारा दुर्भिसन्धि से करवाया है जो कि वादी के विधिक अधिकारों पर बेअसर है एवं ऐसे दस्तावेज को न तो प्रभावशून्य घोषित करवाने की आवश्यकता है एवं ना हीं निरस्त करवाने की आवश्यकता है एवं ना हीं ऐसा कोई अनुतोष ही वाद पत्र में अधियाचित किया गया है। वाद अधिकारों की घोषणा का है एवं कथित दस्तावेज उपहार पत्र प्रारम्भतः एंव प्रभावशून्य है इसलिये वाद धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत सुनने का एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण जवाबदावा में ऐतराजात प्रस्तुत कर बाद तनकीयात एवं साक्ष्य ही उक्त तथ्यों को उठा सकते है ऐसी स्थिती में वर्तमान परिस्थिती में एवं वाद की नोईयत के मध्यनजर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. विशेष हर्जाना से निरस्त फरमाया जावे। वकील वादी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त– **2022 (2) pg. 1029, 2019 RBJ pg. 231, 1998 AIR (Raj.) 103, 2012(4) RLW 3050, 2019 RBJ 529 (H.C.)** पेश किये गये।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वादी ने प्रतिवादी को दिये गये मुखत्यारनामे को निरस्त करने का भी हवाला दिया है। वादी ने वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के मुखत्यारेआम की हैसियत से करवाये गये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 12–04–2022 को चुनौती दी है, इसके अतिरिक्त वादी ने उपरोक्त शीर्षक के वाद में प्रतिवादी सं. 2 को दिये गये मुखत्यार दिनांक 12–01–2011 को निरस्त करने का भी कथन किया है। वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

को प्रतिवादी सं. 2 को दिये मुखत्यारनामा दिनांक 12–01–2011 को निरस्त करने का कोई अधिकार है या नही एवं वादी द्वारा मुखत्यारनामा निरस्त करने के प्रतिवादी सं. 2 को बिना सूचना के भूमि अन्तरण करने का अधिकार है या नहीं, यह बिन्दू भी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। रजिस्टर्ड उपहार पत्र के प्रभावशून्य घोषित करने का बिन्दू सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के है, उपरोक्त शीर्षक के वाद में यही मुख्य बिन्दू है और इसके निस्तारण के बाद ही वाद का अनुतोष वादी प्राप्त करने का निवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 31.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयनश गौतम)आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner